न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारीः– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः–

प्रार्थी — बनाम — अप्रार्थीगण

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. मनोहरसिंह पुत्र छतरसिंह जाति राजपुत निवासी ढेलाणा तहसील लोहावट जिला फलोदी		1. तहसीलदार लोहावट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता सुखराम विश्नोई।

–::निर्णय::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम ढेलाण का मुल निवासी है प्रार्थी की पैतृक भूमि वाके गांव ढेलाणा में पुराना खाता संख्या 179 नया खाता संख्या 111 खसरा संख्या 99 में रकबा 421 बीघा 13 बिस्वा में गलत नाम छतरसिंह पुत्र स्व. सुमेरसिंह की जगह छतरसिंह पुत्र स्व. गायड़सिंह सही रूप से दर्ज करवाने एवं पुराना खाता 62 नया खाता संख्या 70 खसरा संख्या 171 में रकबा 116 बीघा 11 बिस्वा एवं पुराना खाता 62 नया खाता संख्या 71 खसरा संख्या 170 में रकबा 0 बीघा 06 बिस्वा के राजस्व रेकर्ड में दर्ज जगह दर्ज गलत चतरसिंह पुत्र गायडसिंह की जगह छतरसिंह पुत्र गायडसिंह सही रूप से दर्ज करवाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तहसीलदार लोहावट को जवाब पेश करने की तहरीर जारी की गई जिसकी पालना में तहसीलदार लोहावट ने मौका जवाब रिपोर्ट पेश कि जो शामिल मिसल किया। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन व मनन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ढेलाणा के खसरा संख्या 99 रकबा 421 बीघा 13 बिस्वा भूमि में गलत नाम छतरसिंह पुत्र स्व. सुमेरसिंह, खसरा संख्या 171 में रकबा 116 बीघा 11 बिस्वा खसरा संख्या 170 में रकबा 0 बीघा 06 बिस्वा में गलत नाम चतरसिंह पुत्र गायडसिंह की जगह छतरसिंह पुत्र गायडसिंह सही एव चतरसिह पुत्र गायडसिंह की जगह छतरसिंह वास्तविक नाम किया जाता है तहसीलदार लोहावट को आदेश दिया जाता है कि उक्त शुद्व नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 10/01/024 को सुनया गया।

प्रदीप कुमार
सहायक कलक्टर
लोहावट जिला फलोदी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लोहावट

Scanned with CamScanner